संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू : (क) जी हां।

(ख) 45 अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के आरोप के कारण एक अधिकारी को नौकरी से हटा दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर निरंतर निवारक और दंडात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां आवश्यक होता है, गंभीर प्रकृति के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ली जाती है और ऐसी जांच पड़ताल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

1162. श्री राजूभाई ए० परमार :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री पर्वतलेनि उपेन्द्र :
श्री एन०ई० बलराम :
श्री रामदास अग्रवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध एक मामले को उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ मुख्य सौदों (खरीददारी सहित) की जांच की गई है। इस जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को औपचारिक जांच के लिए एक विशेष मामला सौंपा गया है। विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो सेवा-निवृत्त हो गए हैं, को कारण बताओ नोटिस भी दिया है।

Instruction for Stopping new sane tions/institutiou of Telephone Connections

1163. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Govermerit have issued instructions for stopping of new sanctions/installations of telephone connections in Delhi; and

(b) if so, what are the reasons which led to this position?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS SHRI (P. V. RANGAYYA NAIDU); (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Amendments in the Cable T.V. Legislation

@1164. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Law Ministry has approved the amendments sought by the Department of Telecommunications and Information and Broadcasting Ministry, in the proposed Cable TV legislation as reported in the Economic Times dated the 1st June, 1992.

@Previously Unstarred Question 821, transferred from 16th July, 1992.